न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 04/2006

1– मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज वाके ग्राम ग्राम खरवा जरिये पुजारी महावीरप्रसाद पुत्र श्री हरिदास (अब मृतक) जाति साधु निवासी ग्राम खरवा तहसील मसूदा जिला–अजमेर

1/1– सावरिया पुत्र श्री महावीर प्रसाद

2/2– बजरंगलाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद दोनो जाति साधु निवासी ग्राम खरवा तहसील मसूदा जिला–अजमेर

———–वादीगण

ब नाम

1– भोमा पुत्र कालू जाति रावत (फोत) के स्थान पर इनके वारीसान नेनूसिंह पुत्र श्री भोमा निवासी देवपुरा पोस्ट खरवा तहसील मसूदा जिला–अजमेर

2– परसा पुत्र लुम्बा

3– छोटू पुत्र लुम्बा

4– रामा पुत्र लुम्बा

5– हरदेव पुत्र लुम्बा

6– जवारा पुत्र पन्ना

समस्त जाति रावत निवासी ग्राम देवपुरा पोस्ट खरवा तहसील मसूदा

7– लादु पुत्र नंगा

8– मिठूसिंह पुत्र नंगा जाति रावत निवासी ग्राम रानीसागर पोस्ट खरवा तहसील मसूदा जिला–अजमेर

9– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील परिसर कार्यालय मसूदा

——–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 30.11.2017

संक्षिप्तः वादीगण ने अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि वादी ग्राम खरवा में स्थित माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज का वंशानुगत पुजारी है, और इससे पहले प्रार्थी के पिता मंदिर की सेवा पूजा करते थे पिता की मृत्यु के उपरान्त ही लगातार वादी उक्त मंदिर की सेवा पुजा देखभाल एंव रखरखाव कराता आ रहा है, इस कारण मंदिर की और से यह वाद प्रस्तुत किया गया है। मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज के नाम से मंदिर की आराजियात भूमिया ग्राम खरवा में स्थित खसरा नंबर 4879 रकबा 00–16–00 किस्म आ02, 4880 रकबा 01–00–00 किस्म आ02, 4881 रकबा 01–07–00 किस्म आ02, 5049 रकबा 03–18–00 किस्म ता.1, 5070 रकबा 02–01–00 किस्म ता.1, 5084 रकबा 02–03–00 कुल रकबा 11–05–00 एंव ग्राम रानीसागर में स्थित खसरा नंबर 3023 रकबा 10–00–00 स्थित है। उक्त भूमियां जमाबंदी संवत 2060 से 2063 में मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज के नाम से दर्ज चली आ रही है। इन भूमियो पर काश्त करने का अधिकार मात्र मंदिर के पुजारी को है, जिससे होने वाली आय को पुजारी मंदिर की पूजा, रख रखाव व मंदिर में खर्चा कर सकता है। भूमियां पहले त्रुटी वंश प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई थी जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेंस एल.आर./50/2001 आदेश दिनांक 29.09.2003 की पालना में राजस्व अभिलेख में माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज खरवा के नाम दिनांक 30.01.2004 को दर्ज हो गई है। जिस पर मंदिर के पुजारी वादी उक्त भूमियो को काश्त करने हेतू गया तो प्रतिवादीगण ने टालमटोल कर दिया और कहां कि तुम्हे कब्जा सोप देंगे किन्तु वादी द्धारा पुनः कब्जा देने तथा काश्त करने हेतू प्रतिवादीगण को कहां तो प्रतिवादीगण ने उन्हें कब्जा नही सोपा और मारपीट करते रहते है, इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि विवादित भूमियो का कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 को जरिये निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी को विवादित भूमियो पर काश्त करने से नही रोके और उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे और खर्चा वाद दिलाया जावे।

................लगातार

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 से 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 3 ने वादी के वाद पत्र को नकारते हुये जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मंदिर की सेवा करने के लिये ग्राम पंचायत एंव ग्राम के प्रतिष्ठित लोग समय समय पर सेवा के लिये पुजारी नियुक्त करते है, तथा उसे पारिश्रमिक भी दिया जाता है, तथा मंदिर में आने जाने चढावे से ही पुजारी का पारिश्रमिक एंव मंदिर का रखरखाव किया जाता रहा है, तथा वादी मंदिर की भूमियों को अपनी भूमि के रूप में मालिकाना हक बताकर दावा पेश किया है, तथा इस आड में मंदिर की भूमियो को बेचान करना चाहता है। इस बदनियती से वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खरीज होने योग्य है। वादी कभी भी वंशानुगत पुजारी नही रहा। विवादित भूमिया प्रतिवादीगण की है तथा वो सही सदीयो से काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जो गलती से मंदिर के नाम दर्ज हो गई है, का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण की भूमियां को हडप करना चाहता है। वर्णित भूमियो पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है जिसको वादी ने स्वंय ने माना है। तथा वादी का विवादित भूमियो से कोई लेना देना नही है। अतः वादी का वाद खारीज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

प्रकरण में सहवन से तनकियात कायम नही की गई और साक्ष्य तलब की गई इसलिये प्रकरण में साक्ष्य वादी भी हो चुकी है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध इस न्यायालय द्धारा एकतरफा कार्यवाही हो जाने के कारण प्रकरण बहस अंकित में नियत हो चुका है। इसलिये प्रकरण में दावे व जवाबदावे के तथ्यो के अनुसार निम्न तनकियात कायम की जाती है।

1– आया विवादित भूमियो से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर उसका कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा द्धारा पांबद किया जावे कि वादीगण को विवादित भूमियो से बेदखल नही करे। ———वादी

2– आया वादी को वाद उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध लाने का कोई अधिकार नही होने से खारीज किया जावे ———प्रतिवादी संख्या 3

3– अनुतोष ?

प्रकरण में साक्ष्य वादी में वादी सांवरिया ने अपना शपथ पत्र पेश कर अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये विवादित भूमियो से प्रतिवादीगण को बेदखल करने का कथन करते हुये दस्तावेजात पर प्रदर्श मार्क अंकित किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने के कारण से प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई वादीगण ने अपने वाद पत्र व दस्तावेजो को दोहराते हुये प्रतिवादीगण के बेदखल करने का निवेदन किया गया।

मेरे द्धारा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण में कायम तनकियात निम्न प्रकार से तय की जाती हैः–

तनकी नंबर 1:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण था वादीगण ने अपने वाद पत्र में मंदिर श्री रघनुाथ जी महाराज का वंशानुगत पुजारी होने तथा मंदिर की भूमियों में काश्त करने का अधिकार होने तथा प्रतिवादीगण को बेदखल करने का निवेदन किया है जिसके विषय में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 ग्राम खरवा की जमाबंदी संवत 2058 से 2061 में वर्णित खाता संख्या 642 में वर्णित खसरा नंबर 4879, 4880, 4881, 5049, 5070, 5048 भोमा पुत्र कालू 1/3 हिस्सा, परसा, छोटू, रामा, हरदेव पिसरान लूम्बा 1/3 हिस्सा जवारा पुत्र पन्ना 1/3 हिस्सा कौम रावत साकिन देह मजरा देवपुरा खातेदार दर्ज होना पाया गया। इसी जमाबंदी में लाल स्याही से जरिये नामान्तकरण संख्या 1796 दिनांक 30.01.2004 में खसरा नंबर 5049, 5070, 5084 पर मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज साकिन खरवा खातेदार का अंकन पाया गया। प्रदर्श–2 ग्राम खरवा का नक्शा होना पाया गया। प्रदर्श– 3 ग्राम खरवा की खसरा गिरदावरी संवत 2058 से 2061 में भोमा पुत्र कालू 1/3 हिस्सा, परसा, छोटू, रामा, हरदेव पिसरान लूम्बा 1/3 हिस्सा जवारा पुत्र पन्ना 1/3 हिस्सा कौम रावत सा.

देह मजरा देवपुरा खातेदार द्धारा खसरा संख्या 5049, 5070, 5048 पर काश्त किया जाना पाया गया। प्रदर्श– 4 ग्राम खरवा का नक्शा ट्रेस होना पाया गया। प्रदर्श–5 ग्राम रानीसागर की जमाबंदी संवत 2060 से 2063 के खाता संख्या 197 में अंकित खसरा संख्या 3023 में लादूसिंह, मिठूसिंह पिसरान नंगा ब.हि.ब. कौम रावत सा. देह खातेदार का एंव लाल स्याही से जरिये नामान्तकरण संख्या 349 दिनांक 30.01.2004 के अनुसार माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज साकिन खरवा के नाम दर्ज होना पाया गया। तथा प्रदर्श–6 ग्राम रानीसागर की गिरदावरी संवत 2060 से 2063 में लाडूसिंह, मिठूसिंह पिसरान नंगा के द्धारा खसरा नम्बर 3023 में काश्त होना पाया गया। वादी द्धारा जो प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2058 से 2061 प्रस्तुत की गई है, जिसमें ग्राम खरवा के केवलमात्र तीन खसरा नंबर 5049, 5070, 5084 की भूमियों मंदिर श्री रघनुाथ जी महाराज के नाम ही दर्ज होना पाया गया। जबकि ग्राम खरवा की अन्य विवादित भूमियां खसरा नंबर 4879, 4880, 4881 मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज के नाम की खातेदारी में दर्ज होना नही पाया गया। इसी प्रकार ग्राम रानीसागर का विवादित खसरा संख्या 3023 रकबा 10–00–00 भी माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज स. खरवा के नाम दर्ज होना पाया गया है। जबकि प्रतिवादीगण द्धारा प्रस्तुत जवाबदावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी नंबर 1 वादीगण के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से तय पाई जाती है।

तनकी नबंर 2 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था किन्तु प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे के समर्थन में कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया और ना ही अपनी और से कोई मोखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है, इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नंबर 3:– अनुतोष तनकी नंबर 1 विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण के हक में तय की जा चुकी है। इसलिये वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम खरवा में स्थित खसरा नंबर 5049 रकबा 03–18–00 किस्म ता.1, 5070 रकबा 02–01–00 किस्म ता.2, 5084 रकबा 02–03–00 किस्म ता.1, एंव ग्राम रानीसागर में स्थित खसरा नंबर 3023 रकबा 10–00–00 की भूमियो से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर उसको खाली कब्जा मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज साकिन खरवा के पुजारी को दिलाये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तथा इस न्यायालय द्धारा दिनांक 21.05.2010 को विवादित भूमियां ग्राम खरवा में स्थित खसरा नंबर 4879 रकबा 00–16–00 किस्म आ02, 4880 रकबा 01–00–00 किस्म आ02, 4881 रकबा 01–07–00 किस्म आ02, 5049 रकबा 03–18–00 किस्म ता.1, 5070 रकबा 02–01–00 किस्म ता.1, 5084 रकबा 02–03–00 कुल रकबा 11–05–00 एंव ग्राम रानीसागर में स्थित खसरा नंबर 3023 रकबा 10–00–00 के विषय में जो तहसीलदार मसूदा को रिसीवर नियुक्त किया गया था, उक्त वादग्रस्त भूमियों से रिसीवरी मुक्त किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि विवादित भूमि ग्राम खरवा में स्थित खसरा नंबर 5049 रकबा 03–18–00 किस्म ता.1, 5070 रकबा 02–01–00 किस्म ता.2, 5084 रकबा 02–03–00 किस्म ता.1, एंव ग्राम रानीसागर में स्थित खसरा नंबर 3023 रकबा 10–00–00 की भूमियो से मंदिर श्री रघनुाथ जी महाराज के पुजारी के उपयोग उपभोग एंव काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.18 15:59:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: